

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 1)

[12 फरवरी, 2024]

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित
तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधन
निवारण) अधिनियम, 2024 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अभ्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत लोक परीक्षा में उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ख) “संचार डिवाइस” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (जक) में उसका है;

2000 का 21

(ग) “सक्षम प्राधिकरण” से केन्द्रीय सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है, जो लोक परीक्षा प्राधिकरण के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;

(घ) “कंप्यूटर नेटवर्क”, “कंप्यूटर संसाधन”, “कंप्यूटर प्रणाली” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज), खंड (ट) और खंड (ठ) में क्रमशः उनका है;

2000 का 21

(ङ) “लोक परीक्षा का संचालन” के अंतर्गत लोक परीक्षा का संचालन कराने हेतु अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं और क्रियाकलाप, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे ;

(च) “संस्था” से लोक परीक्षा प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से भिन्न कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संगम, कारबार इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि “कंपनी” के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म भी सम्मिलित है ;

2013 का 18

2009 का 7

(छ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ज) “संगठित अपराध” से लोक परीक्षा के संबंध में सदोष अभिलाभ के लिए साझे हित को आगे बढ़ाने या उसका संवर्धन करने के लिए दुस्संधि और षडयंत्रपूर्वक अनुचित साधनों से लिप्त रहने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कारित कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

(झ) “सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करे चाहे ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या अभिकर्ता या सहायक हो ;

(ञ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) “लोक परीक्षा” से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई परीक्षा अभिप्रेत है ;

(ठ) “लोक परीक्षा प्राधिकरण” से लोक परीक्षाओं को संचालित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ड) “लोक परीक्षा केन्द्र” से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जिनका लोक परीक्षा संचालित कराने के लिए उपयोग किए जाने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा या अन्यथा, लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत अन्य के साथ, कोई विद्यालय, कंप्यूटर केन्द्र, संस्था, कोई भवन या उसका कोई भाग भी सम्मिलित हो सकेगा और इसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण परिधि तथा उससे संलग्न भूमि भी सम्मिलित होगी जिनका प्रयोग लोक परीक्षाओं के संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सकेगा; और

(ढ) “सेवा प्रदाता” से कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संगम, कारबार इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी सामग्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की सहायता प्रदान करने हेतु इसके सहयुक्त, उप-ठेकेदार और प्रदाता भी सम्मिलित हैं, जो लोक परीक्षा के संचालन हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए गए हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में हैं।

अध्याय 2

अनुचित साधन और अपराध

3. किसी लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया या कराए जाने वाला कोई कृत्य या लोप भी सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा, परंतु केवल इन्हीं तक निर्बंधित नहीं होगा—

अनुचित साधन।

- (i) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना;
- (ii) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ दुस्संधि करके भागीदारी करना;
- (iii) प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओ.एम.आर.) रिस्पांस शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना;
- (iv) लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों के हल का प्रबंध करना;
- (v) लोक परीक्षा में किसी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;
- (vi) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जिसमें ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओ.एम.आर.) रिस्पांस शीटें भी हैं;
- (vii) किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना;
- (viii) लोक परीक्षा को स्वयं या अपने अभिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर अतिक्रमण करना;

(ix) किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थियों का लघु सूचीयन करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना;

(x) किसी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुकर बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना;

(xi) कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;

(xii) परीक्षा में अनुचित साधनों के अंगीकरण करने को सुकर बनाने के लिए अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था करना, तारीखों और पालियों के आबंटन में हेर-फेर करना;

(xiii) लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत अभिकरण से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालना या सदोष परिरोध करना; या लोक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;

(xiv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना; और

(xv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित करना, जाली प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना ।

अनुचित साधनों के लिए षड्यंत्र ।

लोक परीक्षा संचालन को भंग करना ।

4. कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं, ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षड्यंत्र नहीं करेंगी ।

5. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य या लोक परीक्षा को संचालित करवाने का कोई कार्य सौंपा नहीं गया है या उसमें नहीं लगाया गया है या जो अभ्यर्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन को भंग करने के आशय से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा ।

(2) लोक परीक्षा संचालित करवाने के अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत, लगा हुआ या न्यस्त कोई व्यक्ति, प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व—

(क) धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए अनधिकृत रीति में प्रश्नपत्रों को नहीं खोलेगा, प्रकट नहीं करेगा या अपने पास नहीं रखेगा या पहुंच नहीं बनाएगा या हल नहीं करेगा या ऐसे प्रश्नपत्र या इसके किसी भाग या इसकी प्रति को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन नहीं देगा, जहां ऐसी गोपनीय सूचना धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित या उसके संदर्भ में हो ।

(3) कोई व्यक्ति, जो लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त हो या लगाया गया हो, सिवाय जहां उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी किसी भी सूचना या उसके किसी भाग को, जो उसे इस प्रकार सौंपे जा रहे कार्य के नाते उसकी जानकारी में आई है, अनुचित लाभ या सदोष अभिलाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष न तो प्रकट करेगा, न ही प्रकट करवाएगा और न ही इसका पता लगाने देगा ।

अन्य अपराध ।

6. धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अपराध करता है,

तो सेवा प्रदाता तत्काल संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को अपराध की सूचना देगा तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगा :

परंतु यदि सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का सहारा लेता है और अपराध करता है या अपराध सुकर बनाने में संलिप्त होता है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भी उसकी रिपोर्ट करेगा ।

7. लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना लोक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केंद्र से भिन्न, किसी अन्य परिसर का प्रयोग कारित करना, सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपराध होगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अपराध नहीं होगी, जहां किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण लोक परीक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन किया जाता है ।

8. (1) किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति भी है, यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है यदि वह व्यक्ति रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ या संस्थाओं के साथ दुस्संधि से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं की किसी लोक परीक्षा के संचालन में किसी अप्राधिकृत रीति में सहायता करता है ।

(2) सेवा प्रदाता या उसके साथ सहबद्ध किसी व्यक्ति के विषय में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध कारित करने की घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहता है।

(3) जब कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है और अन्वेषण के दौरान प्रथमदृष्टया यह साबित कर दिया जाता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या ऐसे सेवा प्रदाता के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके (10#) कार्यवाही किए जाने का दायी होगा :

परंतु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

अध्याय 3

अपराधों के लिए दंड

9. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे ।

10. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती है, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे ।

लोक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किन्हीं अन्य परिसरों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध ।

संज्ञेय अपराध ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड ।

(2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व को सौंपे जाने से चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

(3) जहां अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, तब वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में, व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे।

2023 का 45

1860 का 45

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी दंड का दायी नहीं ठहराएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और उसने ऐसे अपराध को कारित होने से निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

संगठित अपराध।

11. (1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे।

2023 का 45

1860 का 45

(2) यदि कोई संस्था किसी संगठित अपराध को कारित करने में अंतर्वलित पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती के अधीन होगी तथा उससे परीक्षा की समानुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी।

अध्याय 4

जांच और अन्वेषण

अन्वेषण के लिए सशक्त अधिकारी।

12. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक या पुलिस सहायक आयुक्त से अन्यून पंक्ति का अधिकारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को अन्वेषण को किसी केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्तियां होंगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

लोक परीक्षा प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

13. लोक परीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा :

2023 का 45

2023 का 45

1860 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे।

14. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होगी :

किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्य से संरक्षण।

परंतु किसी लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसे लोक परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे :

परंतु यह और कि कोई भी बात ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निवारण नहीं करेगी, जहां प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने का मामला विद्यमान है।

15. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में :

इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।

परंतु इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखित जिसका विधि का बल होने के नाते प्रभाव है, में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

16. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अंगीकृत किए जाने के लिए प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं, क्रियाकलाप अधिकथित करना ;

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए।

17. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों का रखा जाना।

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा तीन वर्ष के भीतर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 6

आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 का संशोधन

1944 के अध्यादेश
संख्यांक 38 का
संशोधन ।

19. आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“6. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अधीन दंडनीय कोई अपराध ।”।

अनुसूची

[धारा 2(ट) देखिए]

निम्नलिखित द्वारा संचालित कोई परीक्षा,—

1. संघ लोक सेवा आयोग ।
 2. कर्मचारी चयन आयोग ।
 3. रेलवे भर्ती बोर्ड ।
 4. बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान ।
 5. कर्मचारिवृन्द की भर्ती करने के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
 6. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ।
 7. ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।
-